सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 27/2017

1 सरदारा पुत्र भगुताराम।
2 सुगनाराम पुत्र भगुताराम।
3 सुमेर सिंह पुत्र भगुताराम समस्त जाति गुर्जर निवासी बाकोटी तहसील खेतडी जिला झुंझुनू।
4 दीपक पुत्र अमरसिंह जाति गुर्जर नाबालिग जरिये सरंक्षक नाना जगदीश पुत्र सुलतान जाति गुर्जर निवासी अलीपुर तहसील बुहाना जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 सुधीर कुमार यादव पुत्र धर्मवीर सिंह जाति अहीर निवासी कन्हैई तहसील व जिला झुंझुनू।
2 राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा खेतड़ी जरिये शाखा प्रबन्धक।
3 राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार खेतड़ी जिला झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अपील खिलाफ निर्णय व अन्तिम डिक्री दिनांक 19.01.2017 बअदालत उपखण्ड एवं पदेन सहायक कलेक्टर खेतड़ी मुकदमा उनवानी सुधीर कुमार बनाम सरदारा वगैरह मुकदमा नम्बर 13/2015 दावा बाबत खाता विभाजन

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अपील संख्या 28/2017

1 सरदारा पुत्र भगुताराम।
2 सुगनाराम पुत्र भगुताराम।
3 सुमेर सिंह पुत्र भगुताराम समस्त जाति गुर्जर निवासी बाकोटी तहसील खेतडी जिला झुंझुनू।
4 दीपक पुत्र अमरसिंह जाति गुर्जर नाबालिग जरिये सरंक्षक नाना जगदीश पुत्र सुलतान जाति गुर्जर निवासी अलीपुर तहसील बुहाना जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 सुधीर कुमार यादव पुत्र धर्मवीर सिंह जाति अहीर निवासी कन्हैई तहसील व जिला झुंझुनू।
2 राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा खेतड़ी जरिये शाखा प्रबन्धक।
3 राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार खेतड़ी जिला झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अपील खिलाफ निर्णय व अन्तिम डिक्री दिनांक 11.02.2017 बअदालत उपखण्ड एवं पदेन सहायक कलेक्टर खेतड़ी मुकदमा उनवानी सुधीर कुमार बनाम सरदारा वगैरह मुकदमा नम्बर 13/2015 दावा बाबत खाता विभाजन

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपस्थिति :

1. श्री राजेश पूनियां, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री मोहम्मद रफीक, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

दिनांकः– 30.12.2019

यह दोनों अपीले विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर खेतड़ी द्वारा मुकदमा नम्बर 13/2015 में पारित निर्णय दिनांक 11.02.2017, 11.02.2017 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है। दोनों अपीलों में विवादित भूमि एवं पक्षकार समान होने से दोनो का निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है निर्णय की प्रतियां दोनों पत्रावलियों में अलग–अलग रखी जावें।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी की ओर से वाद पत्र इस आशय का पेश किया गया है कि ग्राम बांकोटी तहसील खेतड़ी स्थित भूमि हाल जमाबंदी संवत् 2069 लगायत 2072 के खाता संख्या 255 के खसरा नम्बर 78 रकबा 5.76 हैक्टेयर के वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 संयुक्त खातेदार काश्तकार है। उक्त भूमि में वादी का 3/10 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 का 1/10 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 ने उक्त भूमि का रिकार्ड में दर्ज हिस्से के अनुसार बाहमी बंटवारा कर रखा है व बाहमी बंटवारा के अनुसार अपने–अपने हिस्से पर काबिज काश्त है। लेकिन उक्त भूमि का विधिवित रूप से खाता विभाजन नहीं हुआ है जो अभी तक संयुक्त खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। वादी अपने हिस्से की भूमि का विकास करना चाहता है लेकिन उक्त भूमि संयुक्त खातेदारी की होने से वादी को अपने हिस्से की भूमि का विकास करने में भारी परेशानी होती है तथा लगान आदि देने में भी झंझट रखता है एवं कमी बेसी व अच्छी बुरी को लेकर हमेशा विवाद होता रहता है। इसलिए वादी को यह वाद खाता विभाजन

उप-खण्ड अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
खेतड़ी

पेश करना आवश्यक हुआ। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई निर्णय दिनांक 19.01.2017 से प्राथमिक डिक्री जारी की है। इसके विरूद्व प्रतिवादीगण की और से अपील संख्या 27/2017 प्रस्तुत की गई है। इसके उपरान्त विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 11.02.2017 को अन्तिम डिक्री पारित की है। इसके विरूद्व प्रतिवादीगण की और से अपील संख्या 28/2017 प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में पत्रावली तनकीयात कायम हेतु नियत थी विचारण न्यायालय ने तनकी कायम नही की । विचारण न्यायालय ने अपीलांट को सुने बिना कैम्प कोर्ट में पत्रावली रखकर विचाराधीन निर्णय पारित किया है जो विधि विरूद्व है। विभाजन प्रस्ताव पर किसी पक्षकार के हस्ताक्षर नही है। सुधीर कुमार को ग्रेवल सड़क से लगती हुई सम्पूर्ण भूमि दे दी है। जबकि समान रूप से विभाजन करना चाहिए था। अपील स्वीकार विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में अपीलांट ने न तो सम्यक जवाब पेश किया न ही कोई साक्ष्य पेश किये है। मौके पर हमारा कब्जा काश्त है विभाजन प्रस्तावों पर अपीलांट ने कोई आपत्ति पेश नही की है। विधिक प्रकिया अपनाकर निर्णय पारित किये गये है। रास्ते का प्रावधान रखा गया है। निर्णय की पालना हो चुकी है अपील सारहीन है अपील खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम बांकोटी तहसील खेतड़ी स्थित भूमि हाल जमाबंदी संवत् 2069 लगायत 2072 के खाता संख्या 255 के खसरा नम्बर 78 रकबा 5.76 हैक्टेयर के वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 संयुक्त खातेदार काश्तकार है। उक्त भूमि में वादी का 3/10 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 का 1/10 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 ने उक्त भूमि का रिकार्ड में दर्ज हिस्से के अनुसार बाहमी बंटवारा कर रखा है व बाहमी बंटवारा के अनुसार अपने–अपने हिस्से पर काबिज काश्त है। लेकिन उक्त भूमि का विधिवित रूप से खाता विभाजन नहीं हुआ है जो अभी तक संयुक्त खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है।

विचारण न्यायालय में वाद धारा 53 के तहत दिनांक 13.02.2015 को प्रस्तुत किया गया है। प्रतिवादी संख्या 2,3,4 की और से जरिये अधिवक्ता उपस्थिति दिनांक 13.04.2015 को विचारण न्यायालय में हुई है। विचारण न्यायालय में प्रतिवादी को साक्ष्य हेतु पर्याप्त अवसर दिये गये। दिनांक 19.01.2017 को प्रतिवादी द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत नही करने का निवेदन करने में साक्ष्य प्रतिवादी बन्द की गई एवं प्राथमिक डिक्री जारी की गई है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा प्राथमिक डिक्री जारी करने में कोई विधिक त्रुटि नही की गई है। विचारण न्यायालय में अपीलांट द्वारा कोई विधिक आपत्ति पेश नही किये जाने पर अन्तिम डिक्री जारी की गई है। हमने विचारण न्यायालय की पत्रावली में संलग्न तहसीलदार के विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया इन प्रस्तावों में रास्ते का प्रावधान रखा गया है। विवादित भूमि के विभाजन प्रस्ताव में नजरी नक्शे के अवलोकन से जाहिर है कि प्रस्तावित विभाजन इस भूमि की आकृति एवं अवस्थिति के अनुसार सही किया गया है। इसके आधार पर अन्तिम डिक्री जारी करने में विचारण न्यायालय ने कोई विधिक त्रुटि नही की है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 30.12.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर